न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) बीकानेर
पीठासीन अधिकारी:– श्री ए.एच.गौरी आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 24/2017

किशनसिंह वल्द रामसिंह उर्फ रामू जाति राजपूत(दरोगा) निवासी खारिया पतावतान तहसील कोलायत जिला बीकानेर

अपीलान्ट

बनाम

स्टेट जरिये तहसीलदार (राजस्व) कोलायत, जिला बीकानेर

रेस्पोडेन्ट

::अपील अन्तर्गत धारा 75 भू. राजस्व अधिनियम 1956::

उपस्थिति :–

1– अपीलान्ट की ओर से – श्री रणजीतसिंह निर्वाण अधिवक्ता
2– स्टेट की ओर से – विभागीय प्रतिनिधि

निर्णय दिनांक 28.06.2019

1. अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने तहसीलदार कोलायत के आदेश दिनांक 21.08.2017 से व्यथित होकर यह अपील पेश कर निवेदन किया कि आदेश अधीनस्थ न्यायालय खिलाफ कानून व न्याय व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है तथा रूहेदाद मिसल का होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर आदेश अधीनस्थ न्यायालय निरस्त फरमाया जावे।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोण्डेण्ट स्टेट को जरिये सम्मन तलब किया गया व अधीनस्थ न्यायालय से मूल रिकार्ड मंगवाया जाकर मामले के गुणावगुण पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट की बहस है कि अपीलान्ट के पिता रामू वल्द भोपा के नाम से वाके राही ग्राम खारिया पतावतान के खेत खसरा नम्बर 61 में तादादी 212. 18 बीघा भूमि चली आ रही थी। जिसका नवीन खसरा 235 बना जिस पर अपीलान्ट लगातार काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। अपीलान्ट के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खसरा नम्बर 235 की भूमि का नाजायज काश्त की कार्यवाही कर बिना किसी पूर्व सूचना व नोटिस के एकतरफा तौर पर पारित किया है। दिनांक 06.10.17 को गिरदावर हल्का मौके पर आये व प्रार्थी को तावान राशि जमा करवाने व खेत खाली करने का कहा गया तब प्रार्थी को आदेश अधीनस्थ न्यायालय का ज्ञान हुआ । प्रार्थी द्वारा दिनांक 10.10.17 को नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत कर उसी दिन नकल प्राप्त की व अपने अधिवक्ता की फीस की व्यवस्था कर जानकारी दिनांक के दिन से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी को बिना पूर्व सूचना व नोटिस के एकतरफा तौर पर आदेश पारित कर भारी विधिक भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश खिलाफ कानून न्याय व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर आदेश अधीनस्थ न्यायालय निरस्त फरमाया जावे।

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

4. स्टेट की ओर से विभागीय प्रतिनिधि की बहस है कि पटवारी हल्का नोखड़ा द्वारा धारा 91 के तहत इस आशय की रिपोर्ट पेश की गई कि अपीनान्ट किशनसिंह पुत्र रामसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी खारिया पतावतान ने ग्राम खारिया पतावतान के खसरा नम्बर **235 तादादी 7.00 हैक्टेयर गैर मुमकीन भूमि पर संवत 2074** में बाजरा व ग्वार अवैध रूप से तारबंदी कर कब्जा काश्त कर अतिक्रमण किया है। इस पर गैर सायल को नोटिस भेजा गया। जिसका संतोषप्रद जवाब प्रस्तुत नहीं होने पर गैर सायल को अतिक्रमी घोषित कर 50 गुणा तावान की शास्ति से आरोपित किया गया व भौतिक रूप से बेदखल कर कब्जा बहक सरकार लेने के आदेश पारित किया है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया व उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पटवारी हल्का ने गैर सायल को अतिक्रमी मानते हुवे रिपोर्ट पेश की है। इस आधार पर गैर सायल के विरूद्ध भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत गैर मुमकीन भूमि पर अवैध रूप से तारबंदी कर कब्जा काश्त कर अतिक्रमण किया है, के विरूद्ध अतिक्रमी घोषित कर बेदखली का आदेश पारित किया जाकर लगान का 50 गुणा शास्ति आरोपित की गई है। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जवाब नोटिस पेश करते हुवे कथन किया है कि ग्राम खारिया पतावतान के पुराना खसरा नम्बर 61 की 212 बीघा 18 बिस्वा जमीन उसके पिता के नाम चली आ रही है। जिसके नये खसरा नम्बर 235 बने है जिसका रिकार्ड दुरूस्ती कराने का दावा उपखण्ड अधिकारी कोलायत के समक्ष विचाराधीन है। दावे की प्रति संलग्न होने का कथन किया है परन्तु पत्रावली में ऐसे किसी वाद की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत नहीं की है जिससे यह प्रमाणित होता हो कि अपीलान्ट का प्रश्नगत भूमि में कोई हित है। मुताबिक राजस्व रिकार्ड में खसरा नम्बर 235 की भूमि जो है सिवाय चक गैर मुमकीन बबिया दर्ज है। जिस पर अपीलान्ट को कब्जा करने का अधिकार नहीं है। अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

6. निर्णय आज दिनांक 28.06.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय को लौटाई जावें।

(ए.एच गौरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner